298 (3) संसदीय समितियों के सदस्यों को उपहार देना

1. हाल ही में सरकार की जानकारी में ऐसा मामला लाया गया, जिसमें सरकारी उपक्रम के दौरे पर गए संसदीय समिति के सदस्य को दो उपहार दिए गए, जो उन्हें काफी कीमती लगे। सदस्य ने सार्वजनिक निधि से खरीदे गए उपहारों को दिए जाने पर आपत्ति प्रकट की। संसदीय समिति द्वारा सरकारी उपक्रम की कार्यप्रणाली की जांच के लिए किए गए दौरे के अवसर पर विशेष रूप से इस प्रकार उपहार देना अनुचित है।

2. कम मूल्य के साधारण स्मृति चिहन उपहान स्वरूप भेंट करना शिष्टाचार और कुछ हद तक प्रचार का उचित साधन माना जा सकता है, परंतु संसदीय समिति द्वारा सरकारी उपक्रम की कार्यप्रणाली की जांच के लिए दौरे पर आने के विशेष अवसर पर कीमती उपहार देने पर आलोचना हो सकती है।

3. राज्य सभा और लोक सभा अध्यक्षों से परामर्श के पश्चात् सरकार यह मानती है कि संसदीय समितियों के सदस्य को संभावित परेशानियों से बचाने के लिए सरकारी उद्यमों के लिए श्रेयस्कर सिद्धांत यह होगा कि वे समितियों के दौरे या समितियों द्वारा उनके कार्यों की जांच का कार्य करते समय कोई बहुमूल्य उपहार न दें।

4. अतः पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय आदि से यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि वे प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यमों को तद्नुसार सलाह दें।

(बी पी ई का 7 दिसम्बर, 1973 कार्यालय ज्ञापन सं. 2(76)/73–बी पी ई (जी एम-I)